03/8/21

रेस्पोडेन्ट वकील राजकीय अभिभाषक उपस्थित। राजकीय अभिभाषक ने हाजा न्यायालय द्वारा जारी एकतरफा स्थगन आदेश के संबंध में एक प्रार्थना पत्र पेश कर बहस करते हुए निवेदन किया कि श्रीमान न्यायालय द्वारा जारी आदेश दिनांक 03.02.2021 को अपास्त करने का निवेदन किया है। साथ ही कार्यालय उप श्रम आयुक्त, पाली का पत्र दिनांक 02.03. 2021 का हवाला देते हुए निवेदन किया कि उक्त प्रकरण से संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के मु. संख्या 06/2020 में वसूली कार्यवाही कार्यालय उप जिला कलेक्टर, पाली के पत्र कमांक/वसूली/2021/145 दिनांक 03.02. 2021 द्वारा बंद की जा चुकी है। जिसकी प्रति संलगन पेश की है। साथ ही उप श्रम आयुक्त, पाली के पत्र द्वारा यह अवगत करवाया गया कि भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 के तहत नियोजकों से बकाया उपकर, ब्याज एवं पेनल्टी की वसूली हेतु नए सिरे से वसूली कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। और भविष्य में सभी त्रुटियों को व्यपगत कर अग्रिम कार्यवाही अमल मे ली जाएगी। अतः श्रीमान न्यायालय से निवेदन है कि वसूली कार्यवाही बंद कर दिये जाने के बाद उक्त अपील का कोई औचित्य शेष नही रहा है। अतः निवेदन है कि उक्त स्थगन प्रार्थना–पत्र के साथ–साथ मूल अपील को अपास्त फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं कार्यालय उप श्रम आयुक्त, पाली द्वारा प्रदत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। अवलोकन से यह ज्ञात हुआ कि हाजा न्यायालय द्वारा आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी वसूली आदेश को स्थगित किया गया था, जिसे पुनः कार्यालय उप जिला कलेक्टर, पाली के पत्र कमांक/वसूली/2021/145 दिनांक 03.02.2021 द्वारा बंद की जा चुकी है, अतः उक्त कारणवंश यह अपील निष्प्रयोजन एवं औचित्यहिन हो चुकी है। परिणाम स्वरूप हाजा न्यायालय द्वारा उक्त वसूली के संबंध में दिनांक 03.02. 2021 को जारी स्थगन आदेश को अपास्त किया जाकर मूल अपील अपीलांट विधिनुसार चलने योग्य नही होने से खारिज की कियां जाती है। तथा पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही हेतु दाखिल दफतर हो।

1/6/2021

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली